न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

§ पीठासीन अधिकारी :- श्री चिरंजीलाल दायमा, आर0ए0एस0 §

अपील संख्या :- 37ए/2013 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट

उनवान :- रामफल यादव पुत्र रतीराम यादव जाति अहीर निवासी
बाईपास तिजारा तहसील तिजारा --- अपी0

बनाम

रामनारायण यादव पुत्र गोरधन यादव जाति अहीर निवासी
बाईपास तिजारा तहसील तिजारा 5--रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा दिनांक 21.3.13

उपस्थित :- 1. वकील अपीलाण्ट श्री संजीव जैन

2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 7.7.2015

प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के प्रारम्भिक निर्णय दिनांक 21.3.15 के विरूद्ध पेश की गई है ।

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष की बहस सुनी ई । विद्वान वकील अपी0 का कथन है कि विवादित आराजी शामलाती खाते की है । अपीलांटस अपने हिस्से की आराजी पर काबीज है, परन्तु तहत अदालत ने सही तौर पर निर्णय पारित नहीं किया है । ना ही बाईमीट्स एण्ड बाउण्डस कुरे कायमी के आदेश पारित किये गये है । शामलाती खाते की भूमि पर सभीखातेदारों का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता हैं । इसी अनुरूप अर्थात् अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का तकासमा होना चाहिए । यह सिद्धान्त राज0काश्त0अधि0 के नियम 18 से 21 में प्रतिपादित किया गया है । अतः निवेदन है कि पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे ।

जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा सही तौर पर तकासमा के नियम 18 से 21 के परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित किया गया है । अपी0 अपीलीय न्यायालय में अपने ऐतराज पेश नही कर सकता । अगर इनको किसी प्रकार का कोइ ऐतराज हो तो तहत अदालत में पेश कर सकते है । फिर भी अगर प्रकरण को तहत अदालत में रिमाण्ड कर दिया जाता है तो हमको कोई ऐतराज नही है ।

--2

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस का मनन किया । चूँकि यह अपील प्रारम्भिक निर्णय के विरुद्ध है जिसमें कुरे कायमी होकर पक्षकारों के एतराज लिये जाकर अन्तिम डिक्री पारित होना शेष है । राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी के अलावा नगर पालिका तिजारा का गैoमुo आबादी 2/123 के रूप में हिस्सा दर्ज है । प्राo डिक्री का जो तहत अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया है उसमे वादीगण व प्रतिवादी संख्या । लगायत 5 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तकासमा करने हेतु तहसीलदार, तिजारा को नियुक्त किया गया है । इससे स्पष्ठ है कि नगर पालिका, तिजारा का भी हिस्से अनुसार तकासमा किया आना मक्षा है । साथ ही चूँकि दोनों पक्षकार प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किये जाने पर सहमत है । इसलिये पक्षकारों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में हम न्यायहित में प्रकरण को तहत अदालत को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित समझते है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के प्रारम्भिक निर्णय दिनांक 21.3.13 निरस्त किये जाते है । तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर न्याय संगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई हेतु तहत अदालत में दिनांक 7.8.15 को उपस्थित हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर ।